



प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.



Website : <https://govhamidiacollege.com/> Ph.-Fax No. 0755-2660447,2660081 Email – heghaacbho@mp.gov.in

क्रमांक / / शा.ह.म. / 2026

भोपाल, दिनांक

सुरक्षा गार्ड की सेवा हेतु सुरक्षा एजेंसी की निविदा के लिए नियम एवं शर्तें

शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल (हाथीखाना बुधवार) द्वारा सुरक्षा गार्ड की सेवा हेतु सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति के लिये एमपी ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से निम्न शर्तों के अधीन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

सुरक्षा एजेंसी की निविदा की शर्तें –

1. समस्त निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा **MP ई-टेंडर पोर्टल** के माध्यम से ही भरनी होगी।
2. धरोहर राशि रुपये 25,000/- एवं निविदा शुल्क राशि रुपये 500/- **MP ई-टेंडर पोर्टल** के माध्यम से ही भरनी होगी।
3. भंडार क्रय नियमानुसार म.प्र. के **MSME'S** जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र है, उन्हें केवल धरोहर राशि में छूट होगी (प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
4. सिक्यूरिटी सेवा प्रदान करने वाली संस्था के पास म.प्र. शासन के अंतर्गत वैध पंजीकृत जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैध पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज निविदा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने चाहिए। एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
5. शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा एजेंसी द्वारा किये गये कार्य व सेवाओं (03 वर्ष) का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. मध्यप्रदेश गुमास्ता एक्ट के अंतर्गत फर्म का गुमास्ता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
7. फर्म पर कोई भी अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है तत्संबंधी (पिछले 6 माह के अंदर) पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. सुरक्षा एजेंसी पर न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा।
9. आपके द्वारा जिलाध्यक्ष द्वारा दैनिक मजदूरी की न्यूनतम देय दर से कम दर पर निविदा मूल्य नहीं लिखा जाना चाहिये। जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से कम दर पर प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। (कुल 30 दिवस दैनिक मजदूरी की दर से)
10. प्रति सिक्यूरिटी गार्ड के भुगतान की दर प्रतिमाह 30 दिवस) अनुसार निविदा में अनिवार्य रूप से अंकित की जानी चाहिए। सिक्यूरिटी गार्ड को प्रतिदिन 8 घंटे सिक्यूरिटी सेवा प्रदान करनी होगी। अंकित की जाने वाली निविदा राशि (जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से कम नहीं) + ईपीएफ +

ईएसआईसी + सर्विस चार्ज + समस्त प्रकार के केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं को देय समस्त प्रकार के यथासमय में प्रभावशील करें सहित तथा (जीएसटी यदि देय हो) जीएसटी देय राशि को जोड़ते हुए एवं सुरक्षा गार्ड को आपके द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं को शामिल करते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिमाह 30 दिवस) की दर राशि आवेदन पत्र में लिखें। किसी प्रकार की शर्त/राशि/कर अन्य उल्लिखित करने पर निविदा निरस्त की जा सकेंगी।

11. किसी भी स्थिति में सर्विस चार्ज 0 (शून्य) नहीं होना चाहिये।
12. आपको सुरक्षा गार्ड के लिये मासिक भुगतान के समय प्रत्येक माह की गणना 30 दिवस के मान से ही की जायेगी।
13. आपको सुरक्षा गार्ड की दी जाने वाली राशि का भुगतान सुरक्षा गार्ड के बैंक खाते में ही जमा कराना होगा।
14. निविदा आवेदन करने की अंतिम तिथि निविदा प्रकाशन के 21 दिन की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।
15. प्रत्येक 8 घंटे की पाली के लिये बदल-बदल कर दो-दो सिक्यूरिटी गार्ड को ड्यूटी पर तैनात करना होगा। इस प्रकार 24 घंटे में कुल 6 सिक्यूरिटी गार्ड की आवश्यकता होगी। सुरक्षा गार्ड की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। सुरक्षा गार्ड को निर्धारित वर्दी में ड्यूटी करना अनिवार्य है। विकलांग सुरक्षा गार्ड मान्य नहीं होगा ड्यूटी के दौरान किसी सुरक्षा गार्ड द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन किया हुआ पाये जाने पर एजेंसी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
16. एक अथवा दो गार्डों द्वारा ही लगातार ड्यूटी करते पाये जाने पर निविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
17. गार्डों की अनुपस्थिति की दशा में सिक्यूरिटी एजेंसी की भुगतान राशि काट ली जायेगी।
18. 15 दिवस की पूर्व सूचना पर सिक्यूरिटी एजेंसी की सेवा समाप्ति का अधिकार प्राचार्य को होगा।
19. सुरक्षा एजेंसी के रूप आपकी नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जायेगी। सेवाये संतोषप्रद पाए जाने पर अवधि 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
20. सेवा शर्तों में कमी पाये जाने पर जनभागीदारी समिति को आर्थिक दण्ड लगाने का अधिकार होगा। सेवा कार्य और शर्तों में कमी लगातार दोहराये जाने पर पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देकर सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
21. सुरक्षा एजेंसी को नियुक्ति पत्र में दर्शाये गये दिनांक से अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चयनित एजेंसी को प्राचार्य, सचिव जनभागीदारी समिति से एक अनुबंध भी संपादित करना होगा।
22. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम माना होगा।
23. सफल निविदाकार को उनके द्वारा दिये गये ऑफर को वापस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तों में परिवर्तन करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर पर पाया जाने वाला निविदाकार महाविद्यालय के साथ 15 दिवस में अनुबंध नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि को राजसात कर लिया जावेगा। तत्पश्चात् आगामी सफल निविदाकार को वरीयताक्रम क्रम में अवसर प्रदान किया जायेगा।
24. धरोहर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
25. निविदाकर्ता को समस्त कर्मियों के नाम, पता, आयु, फोटो, मेडिकल फिटनेस एवं पुलिस सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र अनुबंध के समय प्रस्तुत करने होंगे।
26. निविदाकर्ता को कार्यकाल हेतु काम के घण्टे के दौरान स्वच्छ वर्दी, चमड़े की बेल्ट, बूट टोपी, सीटी, टॉर्च, लाठी, रजिस्टर आदि आवश्यक सामग्री स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करानी होगी। तथा रात्रि गश्त हेतु आवश्यक होने पर वाहन और ईंधन स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।

27. निविदाकर्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति का नियोजन नहीं करेगी जिसे सेना/अन्य संस्था से दुराचार के कारण सेवा से निष्काषित किया गया हो और उस पर किसी भी तरह का अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिये।
28. सुरक्षा एजेंसी ये सुनिश्चित करेगी की अनाधिकृत एवं निषेधित व्यक्ति महाविद्यालय परिसर में प्रवेश न करें।
29. किसी भी कर्म के अवकाश अथवा अस्वस्थ अथवा अनुपस्थित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। ड्यूटी के समय यदि कर्म नशा, हड़ताल या चोरी या गवन आदि में लिप्त पाया जाता है तो उस पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर में चोरी अथवा नुकसान होने पर भरपाई निविदाकर्ता से की जावेगी।
30. निविदाकर्ता के द्वारा यदि सेवाकाल के दौरान बीच में ही कार्य छोड़ा जाता है तो सुरक्षा राशि जप्त कर ली जावेगी। एजेंसी के कार्य से असंतुष्ट होने पर महाविद्यालय द्वारा 15 दिवस पूर्व लिखित सूचना दे कर सुरक्षा एजेंसी की सेवाएँ कभी भी समाप्त की जा सकेंगी।
31. निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के कार्य करने की वैधानिक पंजियां, उपस्थित पंजी, मस्टररोल, अवकाश पंजी आदि का संधारण करेगे तथा समय-समय पर कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
32. सुरक्षा कार्य सम्पादन के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगने अथवा किसी भी दुर्घटना होने की स्थिति में महाविद्यालय किसी भी प्रकार का मुआवजा प्रदाय नहीं करेगा। इसकी संपूर्ण जबाबदारी निविदाकार की होगी।
33. एजेंसी सुरक्षा गार्ड निर्धारित कर्तव्यघंटे (आठ) से अधिक की नहीं होगी।
34. सुरक्षा एजेंसी को महाविद्यालय में आने जाने वाले मेहमानों का गाड़ी नम्बर नाम, पता इत्यादि दर्ज करने के लिये एक रजिस्टर रखना होगा।
35. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर निविदा निरस्त की जायेगी।
36. निविदा संबंधी समस्त निर्णय का अधिकार प्राचार्य का अंतिम एवं मान्य होगा।
37. सफल निविदाकार को पंजीकृत कार्यालय भोपाल में होने का प्रमाण पत्र कार्य आदेश दिनांक से 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
38. सफल निविदाकार को कार्य आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अनुबंध कर सेवाएँ प्रदान करनी होगी। अन्यथा की दशा में दूसरे सफल निविदाकार को वरीयताक्रम में अवसर दे दिया जायेगा।

प्राचार्य एवं सचिव
जनभागीदारी समिति
शासकीय हमीदिया महाविद्यालय
भोपाल



प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.



Website : <https://govhamidiacollege.com/> Ph.-Fax No. 0755-2660447,2660081 Email – heghaaccbho@mp.gov.in

Øekad@-----@'kk-g-e-@2026

Hkksiky] fnukad

प्रेस विज्ञप्ति

(सुरक्षा गार्ड एजेंसी की नियुक्ति के लिये एम.पी. ई-टेन्डर पोर्टल पर निविदा आमंत्रण)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल द्वारा सुरक्षा गार्ड की सेवाएं प्राप्त करने के लिये पर्याप्त अनुभव रखने वाली सुरक्षा गार्ड एजेंसियों से एम.पी. ई-टेन्डर पोर्टल के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

समस्त नियम, शर्तें, आवेदन पत्र तथा निविदा संबंधी तिथि एम.पी. ई-टेन्डर पोर्टल पर एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://govhamidiacollege.com/> पर उपलब्ध है। निविदा आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिन की अवधि तक रहेगी।

प्राचार्य
शासकीय हमीदिया महाविद्यालय
भोपाल

सुरक्षा एजेंसी की निविदा हेतु
आवेदन का प्रारूप

1. सुरक्षा एजेंसी का नाम —
2. सुरक्षा एजेंसी संचालक का नाम —
.....
3. सुरक्षा एजेंसी का स्थायी पता —
4. मोबाईल नं./दूरभाष क्रं. सहित —
5. फर्म का गुमास्ता क्रमांक —
6. सुरक्षा एजेंसी के जीवित पंजीकरण प्रमाण —
पत्र की छायाप्रति।
7. एजेंसी का बैंक खाता नं. एवं **IFSC** कोड —
.....
सहित (बैंक पासबुक की छायाप्रति
संलग्न करें)
8. शासकीय शैक्षणिक सस्थानों में सुरक्षा —
एजेंसी द्वारा किये गये कार्य व सेवाओं
(03 वर्ष) का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. सुरक्षा एजेंसी का पिन नं./डिन नं. —
/टिन नं. जो भी हो। छायाप्रति
संलग्न करें।
10. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का —
विवरण —

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप
नोटराइज्ड शपथ - पत्र
(रुपये 200 के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं.....द्वारा प्रोपाइटर मेसर्स
पता निम्नलिखित कथन शपथ
पूर्वक करता हूँ कि :-

1. यह कि, फर्म को किसी भी शासकीय संस्था / उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
2. यह कि फर्म को उपयोगी सेवा प्रदाय संबंधी कोई कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है और न ही प्रतिबंध लगाया गया है ।
3. यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था / उपक्रम / बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है ।
4. यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जप्त करने का अधिकार प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल को होगा ।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि, मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिंदु क्रमांक 1 से 4 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है।

शपथग्रहिता